न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 19/23 GCMS NO 2023/57

मूर्ति श्री गोविन्ददेव जी महाराज विराजमान धुन्धेश्वर ग्राम चूली जरिये संरक्षक वाद मित्र शंकर लाल दत्तक पुत्र माखनदास जाति ब्राहम्ण निवासी धून्धेश्वर चूली तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. रामकिशन पुत्र कन्हैया
2. रूपसिह पुत्र किल्या
3. काडू पुत्र किल्या
4. राधेश्याम पुत्र छगन
5. हरिमोहन पुत्र छगन
6. मुंशी पुत्र छगन
7. सूरज पुत्र छगन जातियान माली निवासीयान खानपुर बडौदा पेमा का पुरा तहसील गंगापुर सिटी
8. प्रेम पुत्री छगन पत्नि श्रीफूल जाति माली निवासी अमरगढ चौकी
9. केशुली पत्नि छगन पत्नि राधेश्याम जाति माली निवासी अमरगढ चौकी
10. उर्मिला पुत्री छगन पत्नि महेश जाति माली निवासी चिरोली
11. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 30/19 निर्णय दिनांक 26.12.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री परमानन्द शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री मोहम्मद इस्लाम खान

दिनांक 15.1.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 26.12.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज विराजमान चूली की खातेदारी की भूमि बंदोबस्त सम्वत 2008 लगायत 11 खसरा न0 761 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा, 815/2 रकबा 13 विस्वा, 818 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा कुल रकबा 3 बीघा 12 विस्वा ग्राम खानपुर बडौदा मे स्थित है। जिस पर सम्वत 2008 मे उपकृषक के रूप मे प्रार्थी संख्या 1 के पिता तथा प्रार्थीगण 2 लगायत 9 के बाबा कन्हैया पुत्र पांच्या जाति माली निवासी खानपुर बडौदा उक्त भूमि के उपकृषक दर्ज थे तथा सम्वत 2008 से पहले से ही उक्त भूमि पर कन्हैया का कब्जा चला आ रहा [illegible] 2012 मे जागीर पुनग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत उक्त [illegible] सरकार द्वारा मंदिर के हक मे एवं मंदिर के भोग विलास एवं अन्य [illegible] जारी कर दी गई श्री एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत उक्त भूमि का खातेदार प्रार्थी संख्या 1 के पिता एवं प्रार्थी संख्या 2 ता 9 के बाबा कन्हैया की दर्ज कर दिया गया जीवन पर्यन्त उक्त भूमि बतौर खातेदार कन्हैया पुत्र पांच्या काश्त करते चले आ रहे है तथा उनके मरने के बाद प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। एकीकरण मे उक्त भूमि के नम्बर 419 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कायम हुए। जिस पर खातेदारी कन्हैया पुत्र पांच्या के नाम बदस्तुर दर्ज रही है। वर्तमान सेटलमेंट मे एकीकरण ख0न0 419 के नये नम्बर 920 रकबा 0.30 है0, 921 रकबा 0.60 है0, कायम किये है। लेकिन सेटलमेंट विभाग वालो ने बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का मौका दिये बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त भूमि को मंदिर श्री गोविन्ददेव जी के नाम दर्ज कर दी। जबकि भूमि मंदिर की खातेदारी की नही थी तथा भूमि उपकृषक जो कि मंदिर का सेवारत पुजारी नही था किं खातेदारी दर्ज थी ऐसी स्थिति मे भूमि उपकृषक के नाम दर्ज होने के बाद पुनः उसे मंदिर के नाम दर्ज नही किया जा सकता था। लेकिन सेटलमेंट विभाग वालो ने गलत रूप से बिना किसी अधिकार के प्रार्थीगण की भूमि को मंदिर के नाम दर्ज कर दिया। सेटलमेंट की उक्त गलती के आधार पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दे रहा है। अप्रार्थीगण अपनी बेजा हरकतो से तब तक बाज नही आवेगा जब तक कि उसे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जावेगा कि वह प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी से बेदखल नही करे। सेटलमेट की इस गलती से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल कर देगे तथा भूमि पर कब्जा कर लेगे। सेटलमेंट के इस गलत इन्द्राज की जानकारी दिनांक 29.3.19 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी देने से हुई। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि भूमि हाल ख0न0 920 रकबा 0.30 है0, 921 रकबा 0.60 है0 वाके ग्राम खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी मे न तो स्वयं बाधा उत्पन्न करे ना ही अंन्य से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अप्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया अधिनस्थ न्यायालय का आदेश पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड को नजर अंदाज कर विधि के विरूद्व पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मूर्ति शाश्वत नाबालिंग की विधिक स्थिति तथा उसके संदर्भ मे प्रचलित सुस्थापित विधि तथा न्यायिक दृष्टांतो की हिंसा कर आदेश पारित किया है। मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग है जिसकी सम्पति या कृषि भूमि पर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का स्वामित्व या खातेदारी अधिकार किसी भी रूप म उत्पन्न नही हो सकते है। चूकिः मूर्ति शाश्वत नाबालिग है तथा उसकी इच्छा के विरूद्व उसकी सम्पति या कृषि भूमि पर काबिज व्यक्ति को हमेशा मात्र एक अतिक्रमी की होती है। वादीग्रस्त कृषि भूमि से अपीलार्थी मूर्ति के भोगराग व सेवा पूजा की व्यवस्था जमाने बुर्जगान से

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वाद मित्रो द्वारा ही की जाती रही है। परन्तु सबंधित प्रत्यर्थीगण द्वारा मूर्ति की भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने के कारण अपीलार्थी मूर्ति उक्त कृषि भूमि के लाभ से बंचित हो गई है। मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने के कारण उसके हितो की रक्षा करने का दायित्व विधि अनुसार न्यायालय पर है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक स्थिति को अनदेखा कर अपीलार्थी की और से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम बाबत कायम रिसीवरी अपने आक्षेपित आदेश से निरस्त कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो0 का पुराना कब्जा दर्शाते हुए कब्जेधारी व्यक्ति को रिसीवरी की आड मे कब्जे से बेदखल नही किये जाने का अपने आदेश मे अंकन किया है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधिक स्थिति की विवेचना करते समय मूर्ति शाश्वत नाबालिग के संबंध मे प्रचलित सुस्थापित विधि एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो की अवहेलना की है। जिससे यह बाबत भली भांति प्रमाणित है कि मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसकी कृषि भूमि के संबंध मे किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही होते है ना ही मूर्ति की इच्छा के विरूद्व कोई व्यक्ति कृषि भूमि को कब्जे मे रख सकता है। मूर्ति के हितो की रक्षा करने का दायित्व न्यायालय पर है। जिसका अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे स्पष्ट उल्लेख किया गया था साथ ही रेस्पो0 द्वारा वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने, अवेध रूप से भूखण्डो की शक्ल मे विक्रय करने के दस्तावेज पेश किये गये थे लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो की हिंसा कर आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की और प्रस्तुत मूर्ति के हितार्थ रिसीवर नियुक्त किये जाने के संबंध मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो व दस्तावेजो अथवा विधिक स्थिति की कोई विवेचना नही की गई है। केवल मात्र यह अंकित किया है कि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांता चस्पा नही होते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधिक स्थिति को अनदेखा किया है कि उभयपक्ष के मध्य उत्पन्न गंभीर प्रश्नो का निस्तारण उभयपक्ष की साक्ष्य के उपरान्त ही किया जाना न्यायोचित होगा। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश मे वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्वजो के समय से रेस्पो0 के कब्जे की भूमि मानकर उक्त विधिक स्थिति की सरेआम हिंसा की है। जबकि उक्त तथ्य उभयपक्ष की साक्ष्य के उपरान्त ही निर्णित किये जाने योग्य है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 920 रकबा 0.30 है0, 921 रकबा 0.60 है0 वाके ग्राम खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी के संबंध मे अपीलार्थी मूर्ति शाश्वत नाबालिग के हितार्थ रिसीवर नियुक्त कर भूमि को कब्जे राज मे लेकर रिसीवर से वादग्रस्त भूमि की काश्त व्यवस्था करवाई जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज की खातेदारी भूमि बंदोवस्त सम्वत 2008 से 2011 ख0न0 761 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा, 815/2 रकबा 13 विस्वा, 818 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा ग्राम खानपुर बडौदा मे रही है जिस पर उप कृषक के रूप मे रेस्पो/प्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 2 ता 10 के बाबा कन्हैया पुत्र पांच्या का कब्जा काश्त दर्ज था। एकीकरण सम्वत 2018 मे उक्त भूमि के ख0न0 419 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा तथा वर्तमान भ[illegible]ाग ने नवीन ख0न0 920 रकबा 0.30 है0, ख0न0 921 रकबा 0.60 है0 [illegible] समय इस भूमि को राज्य सरकार द्वारा पुर्नग्रहण कर लिया [illegible]ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

के तहत भूमि की खातेदारी रेस्पो/प्रार्थी संख्या 1 के पिता तथा रेस्पो/प्रार्थी संख्या 2 ता 10 के बाबा कन्हैया पुत्र पांच्या के नाम दर्ज कर दी गई। खसरा गिरदावरी सम्वत 2008 से 2034 तक लगातार भूमि पर कब्जा काश्त कन्हैया पुत्र पांच्या एवं उसके मरने के बाद प्रार्थीगण/रेस्पो0 का रहा है। सेटलमेट विभाग की गलती से भूमि गलत रूप से मंदिर के नाम लगा दी गई। भूमि पहले मंदिर के नाम दर्ज थी लेकिन 1952 मे खालसा दर्ज कर दी गई व मंदिर के हक मे ऐन्यूटी जारी कर दी गई। इस प्रकार मंदिर की सेवा पुजा का खर्चा ऐन्यूटी के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार भूमि खालसा होने के पश्चात जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत सही रूप से प्रार्थीगण/रेस्पो0 को उपकृषक होने के नाते खातेदारी प्रदान की गई। विवादित आराजीयात पर कब्जा रेस्पो0 का है। सेटलमेट विभाग द्वारा की गई गलती को दुरूस्त कराने का प्रार्थीगण/रेस्पो0 अधिकारी है। सेटलमेंट की गलती की आड मे अपीलांट/अप्रार्थीगण भूमि से बेदखल करने पर आमादा होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण/रेस्पो0 के पक्ष मे साबित होने एवं कब्जा भी रेस्पो/प्रार्थीगण का होने के कारण ही प्रार्थीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विधि अनुसार ही स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात पूर्व मे मंदिर के नाम दर्ज रिकार्ड थी। परन्तु जागीर पुर्नग्रहण के समय आराजीयात को राज्य सरकार द्वारा पुर्नग्रहण कर लिये जाने पर जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत काबिज काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदान दे दिये गये। विचाराधीन प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमे प्राईमाफेसी केस,सुविधा का सुतलन एवं अपूर्णनीय क्षति को देखा जाना है। चूकिः विवादित आराजीयात सेटलमेट से पूर्व प्रार्थीगण/रेस्पो0 की खातेदारी मे दर्ज रही है तथा मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत 2008 से 2034 तक लगातार भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण/रेस्पो0 का होना सिद्व होता है। इस प्रकार अपीलांट/अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होना संभव नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सिद्वान्तो के मद्देनजर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 30/19 निर्णय दिनांक 26.12.22 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.1.2025 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:31 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner